न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 197/18 **निर्णय दिनांकः 05.04.2019**

सोभागचन्द पुत्र धनाराम जाति सेट निवासी बम्बलू तहसील बीकानेर जिला बीकानेर। —अपीलांट्

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत। रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 31—03—1984
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

उपस्थितिः—
1. श्री रविराज सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 31—03—1984 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन कर दिया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अपीलांट की आवंटन की पात्रता की जॉच करते हुए अपीलांट को दिनांक 30—03—1984 को 12 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र धोषित करते हुए चक 18 आरडीवाई के मुरब्बा नम्बर 118/44 के किला न म्बर 1 ता 24 में 24 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। उक्त भूमि अपीलांट के आवंटन से पूर्व ही अन्य व्यक्ति को आवंटित होने के कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि पूर्व में आवंटित भूमि का दुबारा आवंटन नहीं किया जा

सकता है। लिहाजा अपीलांट समान श्रेणी की अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अपीलांट की आवंटन की पात्रता की जॉच करते हुए अपीलांट को दिनांक 30—03—1984 को 12 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र धोषित करते हुए चक 18 आरडीवाई के मुरब्बा नम्बर 118/44 के किला नम्बर 1 ता 24 में 24 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया।

चूंकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलांट समान श्रेणी की अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जोकि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति आवंटित भूमि थी। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। चूंकि अपीलांट की पात्रता बतौर भूमिहीन आज दिनांक को भी कायम है ऐसी स्थिति में अपीलांट भूमिहीन श्रेणी की भूमि आवंटन करवाने का हकदार है। राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—03—1984 के विरूद्व अपील दिनांक 09—04—18 को पेश की है। जोकि 34 वर्ष विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील स्पष्ट रूप से मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटित भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अपील स्वयं अपीलार्थी को 34 वर्ष पूर्व किये गये आवंटन के विरूद्व पेश की गई है। यदि आवंटी ने आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की है तो आवंटन अधिकारी स्वप्रेरित कार्यवाही के तहत आवंटन खारिज कर सकता है। इसके लिए अपील का औचित्य ही नहीं है। फिर भी 34 वर्ष उपरान्त आवंटन खारिज करवाने के लिए अपील पेश की गई, जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर होने से सीपीसी की धारा 96 के तहत अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील मियांद के बिन्दु व प्रभावित पक्षकार नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर